FORM No III
(नियम 26)

अज अदालत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, मुकाम बीकानेर

जसवीर सिह – बनाम– जगजीत सिह, वगैरह

किस्म मुकदमा विविध प्रार्थना पत्र नं. 01 सन 2026

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुऐ
06.02.2026	अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत दफा –5 मियाद अधिनियम सलग्न है। प्रार्थना पत्र नम्बर पर लिया जाकर अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थना पत्र हरब ऑर्डर 41 रूल 21 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता में रेसपोडेन्ट संख्या 1 ता 3 व 5 ता 9 के अपील की सुनवाई हेतु जारी किये गये सम्मन प्राप्त नही हुए। उपरोक्त रेस्पोडेन्ट्स पर सम्मन तामील नही हुए। रेस्पोडेन्टस को सम्मन तहसील के सवार अथवा डाक के माध्यम से कभी प्राप्त नही हुए। प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को अपील की जानकारी नही होने के कारण सुनवाई के दौरान हाजिर अदालत नही हो सके। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवदेन है कि स्वीकार फरमाया जाकर अपील निर्णय दिनांक 29.08.2025 को निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे। अभिभाषक प्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन में RRT 2002 (2) पेज 763, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया। हमने अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र हरब ऑर्डर 41 रूल 21 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। इस न्यायालय में अपीलान्ट जसवीर सिह उर्फ जग्गासिह ने दिनांक 20.09.2019 को ग्राम सरपंच ग्राम पंचायत रामपुरा उर्फ रामसरा के आदेश दिनांक 03.09.2019 के विरूद्व प्रस्तुत की जो इस न्यायालय मे दिनांक 25.09.2019 को दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई हेतु रखी गई। पत्रावली सुनवाई के दौरान रेसपोडेन्ट को पहले साधारण नोटिस एवं बाद में रजिस्टर्ड नोटिस से तलब करने हेतु जारी किया गया। प्रकरण में रेसपोडेन्ट संख्या 4 सोहन सिह पुत्र श्री निधान सिह की ओर से दिनांक 23.08.2022 को हरदीप सिह एडवोकेट ने वकालतनामा भी प्रस्तुत किया था। शेष रेंसपोडेन्ट्स द्वारा उपस्थित नही होने पर इस न्यायालय द्वारा इनके विरूद्व एक तरफा (Ex -party) कार्यवाही अमल में लाई जाकर मेरिट पर निर्णय पारित किया गया। इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में अंतिम निर्णय दिनांक 29.08.2025 पारित किया जा चुका है। अतः अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र हरब ऑर्डर 41 रूल 21 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता खारिज किया जाता है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर हुबहू चस्पा नही होता है। प्रार्थना पत्र नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 06.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर	